मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-13

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च, 2008 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि अब प्रश्नों का द्वितीय चक्र शुरू होगा। पूर्व में अनुपस्थित माननीय सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारे जाएंगे, अगर वे उपस्थित होंगे तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। द्वितीय चक्र में भी अनुपस्थितिवश और प्रश्न नहीं पूछे जा सके।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 105 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 110 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार वृत रीवा के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री में अनियमितता होने;

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले सहित मध्यप्रदेश के लगभग 30 हजार शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण कर के स्थानांतरण किये जाने;

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने राज्य बीमारी योजना के अंतर्गत प्रस्तुत गंभीर बीमारियों के प्रकरण लंबित होने;

(4) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले में विगत छः माह से पांच एवं दस रूपये के स्टाम्प पेपर उपलब्ध नहीं होने तथा

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल शहर के वार्ड क्रमांक 66 (करोंद) में पेयजल समस्या होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कारपोरेशन का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2006-2007 तथा

(2) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), नर्मदा घाटी विकास मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2006-2007,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची में 16 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम आठ ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री आरिफ अकील, सदस्यगण ने सागर जिले के बीना में निर्माणाधीन रिफाइनरी में ठेकेदारों द्वारा अवैध उत्खनन कर रायल्टी की चोरी किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया। इसी दौरान श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा गर्भगृह में आकर दस्तावेजों का प्रदर्शन करते हुए बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री धरमू राय तथा श्री हरनाम सिंह राठौर, सदस्यगण ने सागर जिले के खुरई एवं बण्डा क्षेत्र में सोयाबीन के कुफलन से हुई क्षति का मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) श्री अर्जुन पलिया तथा श्री किशोर समरीते, सदस्यगण ने बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के वन ग्रामों के आदिवासियों से गांव खाली कराये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जिला स्तर पर लगाये गये पुस्तक मेले के नाम पर भ्रष्टाचार किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी, सदस्य ने शिवपुरी जिले में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के खाचरौद क्षेत्र में पाला पीड़ित कृषकों की फसल के सर्वे कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री देवी सिंह पटेल, सदस्य ने बड़वानी जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा पेयजल संकट के संबंध में लापरवाही किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य ने देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र में सोयाबीन फसल को क्षति का मुआवजा न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के पिपलानी थानान्तर्गत एक महिला का अपहरण कर हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य;

(10) श्री शिवराज शाह, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बम्हौरी में नील गायों द्वारा फसल नष्ट किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य;

(11) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की प्रदेश में बगैर मान्यता के एम.बी.ए. एवं बी.सी.ए. के पाठ्यक्रम संचालित होने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य;

(12) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा प्रदेश के बाहर बना माल ऊँची दरों पर खरीदे जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, ग्रामोद्योग का वक्तव्य;

(13) श्री जयराम सिंह मार्को, सदस्य की रीवा जिले के वन परिक्षेत्र सिरमौर अंतर्गत अवैध अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य;

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में हैण्डपंप उत्खनन में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य;

(15) श्रीमती संध्या सुमन राय, सदस्य की मुरैना जिले के दिमनी क्षेत्र में पेयजल संकट होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य तथा

(16) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम पडरी निवासी एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर लूट-पाट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

सदन में पढ़े हुए माने गए।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) सुश्री ऊषा ठाकुर, सदस्य की रीवा जिले के अंतर्गत सिरमौर तहसील के ग्राम शाहपुर में ट्रांसफार्मर बदलवाये जाने,

(2) श्री मनमोहन शाह बट्टी, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के ग्राम सिंगौड़ी के रीछन नाला पर पुल निर्माण कराये जाने,

(3) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) मोहखेड़ को तहसील एवं सॉवरी को टप्पा तहसील बनाये जाने,

(ख) जुन्नारदेव ढ़ाकरवाड़ी एवं चिखलार में हाईस्कूल खोले जाने,

(ग) जुन्नारदेव के ग्राम हनोतिया में विद्युत सब स्टेशन खोले जाने,

(घ) जुन्नारदेव नगर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(ङ) मोहखेड़ के ग्राम सांवरी में आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने,

(च) जुन्नारदेव के ग्राम कटकुही एवं जम्बा किराड़ी में हाई स्कूल भवन निर्माण कराये जाने, तथा

(छ) जुन्नारदेव के ग्राम खजरी फूलसा नदी पर स्टाप डेम के निर्माण किये जाने,

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल जिले के विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित सी सेक्टर कालोनी शाहपुरा रहवासी मकानों की भूमि का कमर्शियल लीज रेन्ट हटाये जाने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल जिले के -

(क) शहर के वार्ड नं.11 संजय नगर में पेयजल सप्लाई किये जाने,

(ख) शहर के वार्ड नं.9 ब्राईट कालोनी ईदगाह हिल्स की रोड को डामरीकरण किये जाने, तथा

(ग) शहर के वार्ड नं. 11 की सनराईज काम्पलेक्स-सनराईज कालोनी में पेयजल सप्लाई किये जाने,

(6) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) सुमावली के एम.एस. रोड से प्रजापति मोहल्ला तक रोड निर्माण किये जाने, तथा

(ख) सुमावली के ग्राम जौरी की रोड का डामरीकरण कराये जाने,

(7) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच जिले के ग्राम भड़कसनावदा मार्ग के नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(8) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य की सतना जिले की नागौद तहसील के ग्राम उमरहट में ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(9) श्री हाकम सिंह चड़ार (मेहरा), सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) गोटेगांव तहसील के ग्राम घाट पिंडरइ एवं खमरिया कंधरापुर नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा

(ख) नगर पंचायत गोटेगांव के बाहर से नरसिंहपुर-जबलपुर व्हायपास रोड बनाये जाने,

(10) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम नयाखेड़ा बंजारों का डेरा में प्राथमिक स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम श्रीवच्छ की माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम मेहतवास की प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने, तथा

(घ) ग्राम उमरना से दड़िया नायन पहुंच मार्ग निर्माण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी मानी गई।

6. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(1) श्री रूस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए छः सौ उनसठ करोड़, दस लाख, अस्सी हजार रूपये
अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए छः सौ छियालीस करोड़, सतहत्तर लाख, ग्यारह हजार रूपये
अनुदान संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए आठ सौ चौंसठ करोड़, तिरानवे लाख, उनपचास हजार रूपये
अनुदान संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक करोड़, अस्सी लाख रूपये
अनुदान संख्या - 62	पंचायत के लिए पचपन करोड़, अडसठ लाख, छप्पन हजार रूपये
अनुदान संख्या - 80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए दो हजार इक्यासी करोड़, तिहत्तर लाख, छः हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर कटौती प्रस्तावों के प्रस्तावक सदस्यों की सदन में अनुपस्थिति के कारण कोई भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ।

सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई।

मांगों पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पूरनी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री लालसिंह आर्य

सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई।

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) श्री किशोर समरीते
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री रामलखन शर्मा
(7) श्री दुर्गालाल विजय
(8) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी
(9) श्री शंकरलाल तिवारी

सभापति महोदय (श्री लालसिंह आर्य) पीठासीन हुए।

(10) श्री राजेश यादव
(11) श्री उमाशंकर गुप्ता

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(12) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(13) श्री गिरिराज मण्डलोई
(14) श्री मेहरबान सिंह रावत
(15) श्री गुरूचरण सिंह होरा
(16) श्री धरमूराय

श्री रूस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि आज अशासकीय कार्य का दिन है। इसके लिए सदन के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित है। अतः आज अपराह्न 5 बजे से अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए नियत किये जाते है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(2) श्री अन्तर सिंह आर्य, जेल मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च,2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 5	जेल के लिए चौरानवे करोड़, सात लाख, बाईस हजार रूपये
अनुदान संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य के लिए दो सौ तिहत्तर करोड़, पचहत्तर लाख रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 29	1, 8

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री लालसिंह आर्य
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) श्री किशोर समरीते

(6) श्री बाबूलाल महाजन

(7) सुश्री ऊषा ठाकुर

श्री अन्तर सिंह आर्य, जेल मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए चार सौ पैंतालीस करोड़, चौंतीस लाख, तीस हजार रूपये
अनुदान संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए चौंतीस करोड़, सत्रह लाख, पिच्यासी हजार रूपये
अनुदान संख्या - 35	पुनर्वास के लिए बावन लाख, तिरेसठ हजार रूपये
अनुदान संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए ग्यारह करोड़, सत्तरलाख, अट्‌ठानवे हजार रूपये
अनुदान संख्या - 58	प्राकृतिक आपदा एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए छः सौ इक्कीस करोड़, इक्यानवे लाख, छः हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 8	2
मांग संख्या - 9	1

सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई।

9. सदन के समय में वृद्धि

सभापति महोदया ने सदन को सूचित किया कि राजस्व मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अशासकीय कार्य लिया जायेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

10. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री दुर्गालाल विजय

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री किशोर समरीते
(5) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कोरम नहीं होने की बात कहते हुए बहिर्गमन किया)

(6) श्री ताराचंद बावरिया
(7) श्री शंकरलाल तिवारी
(8) श्री जगन्नाथ सिंह
(9) श्री दिलीप सिंह परिहार
(10) श्री ध्रुव प्रताप सिंह
(11) श्री गिरिराज मण्डलोई

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

श्री रामलखन शर्मा तथा श्री अशोक सिंह सरस्वार, सदस्यगण द्वारा आज की कार्यसूची के प्रथम अशासकीय संकल्प पर चर्चा के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि इसका संबंध मध्यप्रदेश के हित से नहीं है। इसका संबंध केन्द्र सरकार, तमिलनाडु तथा केरल सरकार से है। अतः इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। श्री अशोक सिंह सरस्वार, सदस्य ने भी श्री रामलखन शर्मा के कथन का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने यह पक्ष रखा कि इस विषय का संबंध संपूर्ण देश की भावना से जुड़ा है अतः इस पर चर्चा की जाए तथा व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य किया जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि यह सदन इस संकल्प के माध्यम से केन्द्र सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत करा रहा है इस लिए इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है. अतः व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य किया जाता है।

12. अशासकीय संकल्प

(1) सर्वश्री गिरिराज मण्डलोई, उमाशंकर गुप्ता तथा दुर्गालाल विजय, सदस्यगण ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम तथा श्रीलंका के मध्य समुद्र में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा लंका जाने हेतु बनाये गये सेतु को केन्द्र शासन द्वारा तोड़े जाने की स्वीकृति दी गई है, इसे तत्काल रोका जावे एवं इसे ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व के स्थल के रुप में सुरक्षित रखा जावें."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री गिरिराज मण्डलोई

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता

(3) श्री दुर्गालाल विजय

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री किशोर समरीते, सदस्य, ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश में जितनी भी रेल लाईन सिंगल ट्रेक हैं उन्हें डबल ट्रेक करके सभी रेल लाईनों का विद्युतीकरण किया जाये जिनमें से सर्वप्रथम निर्माणाधीन रेल ट्रेक शीघ्र बनाये जायें."

श्री किशोर समरीते, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री अशोक सिंह सरस्वार, सदस्य, ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में ताम्र अयस्क शोधन संयंत्र की स्थापना की जाये."

श्री अशोक सिंह सरस्वार, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.11 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2008 (फाल्गुन 27, शक संवत 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.